मैनुअल–21

आरटीआई आवेदन व प्रथम अपील व उनके उत्तर।

RTI APPLICATIONS OR FIRST APPEALS AND THEIR REPLIES

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	आरटीआई आवेदन व प्रथम अपील व उनके उत्तर।	01—32
21	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, सूचना अधिकार अधिनियम 2005, निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून,	03—32

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, सूचना अधिकार अधिनियम 2005, निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून, वर्ष 2025–2026

क्र. सं.	लोक प्रधिकारी/विभाग का नाम	सूचना अनुरोध पत्र			प्रथम अपील			प्राप्त सूचना आवेदन पत्रों के सापेक्ष एकत्रित कुल धनराशि	स्तम्भ 5 के सापेक्ष अनुरोधों को अस्वीकृत करते समय किन प्रावधानों को लागू किया गया												
									सूचना का अधिकार अधिनियम की संगत धारायें												
		प्राप्त अनुरोधों की कुल संख्या	निस्तारित आवेदनों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	प्राप्त प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित प्रथम अपीलों की संख्या	निस्तारित में से अस्वीकृत प्रथम अपीलों की सं0		धारा 8 (1)										धारा 9	धारा 10	धारा 24
									क	ख	ग	घ	ड	च	छ	ज	झ	ञ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	निदेशक,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड देहरादून	30	25	----	-----	01	-----	1302.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग–	**30**	**25**	**---**	----	**01**	**-----**	**1302.00**	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

<u>अपील संख्या–180 / 23.04.2025</u>

अपीलकर्ता– श्री बी.डी.जोशी, अपर संख्या अधिकारी / अपर शोध अधिकारी, कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊ मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,पशुपालन निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।

<u>/ /अपीलीय निर्णय/ /</u>

श्री बी.डी.जोशी, अपर संख्या अधिकारी / अपर शोध अधिकारी, कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊ मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल के अपीलीय पत्र दिनाँक 21.04.2025 जो निदेशालय मे दिनांक 23.04.2025 को प्राप्त हुआ, जिसमे अपीलार्थी श्री बी.डी.जोशी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय के पत्र संख्या 266 दिनांक 17.04.2025 के द्वारा प्रेषित की गई सूचना के बिन्दु 01 से असन्तुष्ट होने पर प्रथम अपील की गयी है।

उक्त के क्रम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या 428 / सू.अ.अ. / प्र0अपील / 180 / 2025–26 दिनांक 25.04.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अपील की तिथि व समय के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया, जिसमे सुनवाई की तिथि 19.05.2025 समय अपरान्ह 11.30 बजे, कक्ष सं0 207, प्रशासनिक भवन, निदेशालय पशुपालन, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून मे नियत की गई।

अपीलार्थी की अपील सुनवाई के समय डा० शिवानन्द पाठक, लोक सूचना अधिकारी, श्री मुकेश उनियाल, प्रधान सहायक / पटल सहायक,सू0अ0, मुख्यालय एंव श्री महेश्वरकान्त रवि, वरिष्ठ सहायक / स्थापना पटल सहायक उपस्थित रहे। अपीलार्थी भी सुनवाई मे उपस्थित रहे। अपील की सुनवाई मे सर्वप्रथम अपीलकर्ता के अपील पत्र दिनांक 21.04.2025 का अवलोकन किया गया, जिसमे अनुरोधकर्ता द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 03.04.2025 मे 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही थी। बिन्दु सं0 01 पर अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि जो सूचना उपलब्ध करवायी गयी है, वह संख्या संवर्ग की 15 अगस्त 2011 की वरिष्ठता सूची है, जबकि मेरे द्वारा संख्या संवर्ग मे अपर संख्याकीय अधिकारियों की अध्यावधिक अंतिम वरिष्ठता सूची की सूचना चाही थी, इसलिए प्रथम अपील की गई है।

सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी, निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र संख्या 266 दिनांक 17.04.2025 द्वारा 02 बिन्दुओं पर चाही गयी सूचना प्रेषित कर दी गयी थी, जो कि स्थापना अनुभाग, मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करवायी गयी थी। अपील के बिन्दु सं0 01 के सम्बन्ध मे स्थापना अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी भी संवर्ग की अंतिम वरिष्ठता सूची एक ही होती है, संवर्ग मे अलग–अलग पदों की अलग–अलग वरिष्ठता सूची नही होती है।

अतः उक्तानुसार तीनों पक्षों का सुनने के पश्चात पाया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना पूर्ण थी, जैसा कि उपलब्ध अभिलेखों मे धारित / नियमानुसार थी।

अन्य कोई बिन्दु विचार के लिए शेष नही है। प्रस्तुत प्रथम अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है।

अपीलार्थी उक्त निर्णय से सन्तुष्ट न होने की स्थिति मे 90 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील मा0 सूचना आयोग मे कर सकते है, पता निम्नवत है–

उत्तराखण्ड सूचना आयोग,

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून ।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

<u>कार्यालयः– निदेशालय,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड, मोथरोवाला,देहरादून</u>

पत्रांक /प्रथम अपील /180/सू.अ.अ.–आदेश /2025–26 दिनाँक मई, 2025

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1 श्री बी.डी.जोशी, अपर संख्याकीय अधिकारी/अपर शोध अधिकारी, कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, कुमाऊ मण्डल, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।**(पंजीकृत)**

1. लोक सूचना अधिकारी,मुख्यालय ।
2. मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

/पंजीकृत/

अपील संख्या–181/21.05.2025

अपीलकर्ता– श्री प्रदीप बत्रा, एडबोकेट, चैम्बर न0. जी0–08 भूतल, मानव चौक के समीप, जिला न्यायालय अम्बाला शहर, हरियाणा–134003 ।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,पशुपालन निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।

//अपीलीय निर्णय//

श्री प्रदीप बत्रा, एडबोकेट, चैम्बर न0. जी0–08 भूतल, मानव चौक के समीप, जिला न्यायालय अम्बाला शहर, हरियाणा–134003 के अपीलीय पत्र दिनाँक 13.05.2025, जो निदेशालय मे दिनांक 20.05.2025 को प्राप्त हुआ है, जिसमे अपीलार्थी श्री प्रदीप बत्रा द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय के पत्र संख्या 157 दिनांक 08.04.2025 के द्वारा प्रेषित की गई सूचना के बिन्दु 3(ii) से असन्तुष्ट/सूचना अप्राप्त होने पर प्रथम अपील की गयी है।

उक्त के कम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या 870/सू.अ.अ./प्र0अपील/फा. 181/2025–26 दिनांक 21.05.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अपील की तिथि व समय के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया, जिसमे सुनवाई की तिथि 17.06.2025 समय पूर्वाहन 11.30 बजे, कक्ष सं0 207, प्रशासनिक भवन, निदेशालय पशुपालन, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून मे नियत की गई।

अपीलार्थी की अपील सुनवाई के समय डा० शिवानन्द पाठक, उप निदेशक/लोक सूचना अधिकारी, श्री मुकेश उनियाल, प्रधान सहायक/पटल सहायक, सूचना अधिकार अनुभाग, मुख्यालय एंव श्री विजय उनियाल, वरिष्ठ सहायक/पटल सहायक, कय प्रकोष्ठ, मुख्यालय उपस्थित रहे। अपील की सुनवाई मे सर्वप्रथम अपीलकर्ता के अपील पत्र दिनांक 07.03.2025 एंव लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना का अवलोकन किया गया। अनुरोधकर्ता द्वारा बिन्दु 3(प) से 3(गपप) तक सूचना चाही गयी थी, धारित समस्त सूचना अपीलार्थी को उपलग्ध करा दी गयी थी। अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 3(पप) पर सूचना न दिये जाने से असन्तुष्ट होकर प्रथम अपील की गयी। अपील की सुनवाई की नियत समय व तिथि पर अपीलार्थी उपस्थित नही थे, जिस हेतु अपीलार्थी का इंतजार 11रू50; ।डद्ध बजे तक किया गया। तत्पश्चात अपीलार्थी के मोबाइल न0. 9996464333 पर 11रू55; ।डद्ध बजे– 12रू02;च्डद्ध बजे पर फोन अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को किया गया। अपीलार्थी द्वारा दूरभाष पर अपने किसी आवश्यकीय कार्य मे व्यस्त होना बताया गया तथा समय मिलते ही बैक कॉल करने हेतु अवगत कराया गया, जिस हेतु 3.00 बजे अपराहन तक अपीलार्थी के फोन कॉल की प्रतीक्षा की गयी। फोन कॉल न आने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा 3.00 बजे अपराहन मे अपीलार्थी को पुनः कॉल की गयी, जिसमे अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 3(पप) से असन्तुष्ट/सूचना अप्राप्त होने पर असन्तुष्टि व्यक्त की गयी, जिसके कम मे अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि आपके मूल सूचना आवेदन पत्र मे वर्ष 2023–24 मे उत्तराखण्ड के सभी जनपदों की औषधि परीक्षण रिपोर्ट चाही गयी थी, जो कि निदेशालय स्तर पर संरक्षित नही है। अपीलार्थी द्वारा फोन पर अवगत कराया गया कि यदि वांछित सूचना निदेशालय स्तर पर संरक्षित नही है तो निर्णय मे यह उल्लेख करने की अपेक्षा की गयी कि उक्त सूचना निदेशालय मे संरक्षित नही है।

अतः उक्तानुसार पक्षों को सुनने के पश्चात पाया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को निदेशालय स्तर पर संरक्षित सभी सूचना प्रेषित कर दी गयी थी। अपील से सम्बन्धित बिन्दु की सूचना निदेशालय स्तर पर धारित न होने पर, प्रस्तुत प्रथम अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है।

अपीलार्थी उक्त निर्णय से सन्तुष्ट न होने की स्थिति मे 90 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील मा0 सूचना आयोग मे कर सकते है, पता निम्नवत है–

उत्तराखण्ड सूचना आयोग,

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून ।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

कार्यालयः– निदेशालय,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड, मोथरोवाला,देहरादून

ई–मेल–: **dirahuk@gmail.com,** दूरभाष न. 0135–2532884/2532809/2532909

पत्रांक /प्रथम अपील /180/सू.अ.अ.–आदेश /2025–26 दिनाँक जून, 2025

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. श्री प्रदीप बत्रा, एडबोकेट, चैम्बर न0. जी0–08 भूतल, मानव चौक के समीप, जिला न्यायालय अम्बाला शहर, हरियाणा–134003 (पंजीकृत)
2. लोक सूचना अधिकारी,मुख्यालय ।
3. मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

सूचना का अधिकार

<u>अपील संख्या– 182/2025</u>

अपीलकर्ता– श्री पंकज प्रसाद **S/o** श्री राम प्रसाद नौटियाल, ग्राम व पोस्ट मंजगांव, पट्टी भण्डारस्यूं, तहसील डुण्डा, जनपद– उत्तरकाशी।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,पशुपालन निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।

<u>//अपीलीय निर्णय//</u>

श्री पंकज प्रसाद, पुत्र श्री राम चन्द्र नौटियाल, ग्राम व पोस्ट मंजगांव, पट्टी भण्डरास्यूँ, तहसील डुण्डा, जनपद उत्तरकाशी के अपीलीय पत्र दिनाँक 27.06.2025 जो ई–मेल के माध्यम से अपीलीय अधिकारी को दिनाँक 28.06.2025 को प्राप्त हुआ है जिसमें श्री पंकज प्रसाद द्वारा उल्लेख किया गया है कि सूचना जीवन व भविष्य से सम्बन्धित है और लोक सूचना अधिकारी द्वारा मेरे सूचना के मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 25.06.2025 का प्रतिउत्तर दिनांक 27.06.2025 तक नहीं उपलब्ध करायी गयी, जिस हेतु प्रथम अपील की गई। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1794 दिनांक 28.06.2025 के द्वारा अपील की सुनवाई की दिनाँक 01.07.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे निर्धारित की गयी।

दिनांक 01.07.2025 पूर्वान्ह 11.00 बजे सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी मुख्यालय, पटल प्रभारी स्थापना अनुभाग व संयुक्त निदेशक, सामान्य प्रशासन उपस्थित रहे। पत्रावलियों के अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके कार्यालय पत्र संख्या 1731/सू0अ0अ0/धा0 5(4)/3246/2025–26 दिनांक 28.06.2025 के द्वारा धारित सूचना नियमानुसार अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी है। सुनवाई के समय 11.13 बजे पूर्वान्ह अपीलार्थी द्वारा सुनवाई के लिए उपलब्ध कराये गये मो0 नं0 **9389006903** पर कॉल की गयी जिसमें अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा उक्त के सम्बन्ध में पुनः दिनांक 30.06.2025 को ई–मेल के माध्यम से अपील की गई और मैं देहरादून आ रहा हूॅ और मेरी अपील को दिनांक 02.07.2025 को सांय को 3.00 बजे निदेशालय पशुपालन विभाग में सुनी जाय। अपीलार्थी के अनुरोधानुसार उक्त अपीलों की सुनवाई **दिनांक 02.07.2025 अपरान्ह 3.00 बजे निर्धारित** की गई, जिसकी सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1816 दिनांक 01.07.2025 के द्वारा ई–मेल के माध्यम से अपीलार्थी को दी गई है। अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 28.06.2025, जो विभागीय ई–मेल पर 30.06.2025 समय 2 बजकर 54 मिनट बजे अपराहन मे श्री पंकज प्रसाद द्वारा प्रेषित की गई, अपीलीय पटल मे 01.07.2025 को प्राप्त हुयी, जिसमे अपीलार्थी द्वारा प्रथम एंव द्वितीय बिन्दु पर न्यायालय के शपथ पत्र व क्षमा पत्र की छायाप्रति चाही गई। तृतीय बिन्दु शासनादेश सं0 330 दिनांक 23 जुलाई, 2015 के अनुपालन के सम्बन्ध मे लिखा गया है। उक्त सूचनाओं से असन्तुष्ट होकर प्रथम अपील की गयी।

अपील की सुनवाई दिनांक 02.07.2025 समय 3.00 बजे अपराह्न मे लोक सूचना अधिकारी, पटल प्रभारी–स्थापना, लोक सूचना पटल प्रभारी व अपीलार्थी श्री पंकज प्रसाद तथा श्री रामचन्द्र नौटियाल उपस्थित रहे। सुनवाई के समय अपीलार्थी के मूल अनुरोध पत्र दिनांक 25.06.2025 पर बिन्दुवार सुनवाई की गयी।

1. प्रथम बिन्दु पर अपीलार्थी द्वारा विशेष क्षमा आवेदन पत्र की छायाप्रति की मॉग की गयी। अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि उक्त दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल रिट पिटीशन सं0 635/2025 के अर्न्तगत मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।
2. द्वितीय बिन्दु पर अपीलार्थी द्वारा रिट पिटीशन 635/2025 के प्रति शपथ पत्र की छायाप्रति 24 घन्टे के अर्न्तगत चाही गयी। अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि उक्त दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल रिट पिटीशन सं0 635/2025 के अर्न्तगत मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।
3. तृतीय बिन्दु पर अपीलार्थी द्वारा शासनादेश सं0 330 दिनांक 23 जुलाई, 2015 पर विभाग द्वारा पालन न किये जाने के साक्ष्य चाहे गये। उक्त शासनादेश के अवलोकन पर पाया गया कि शासनादेश सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को सम्बोधित तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित है। उक्त शासनासदेश पर यथोचित कार्यवाही उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा की गयी, उक्त पत्र पशुपालन विभाग से सम्बन्धित नही था।

अपील की सुनवाई के समय अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि श्री पंकज प्रसाद द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु बी0पी0एल0 कार्ड के स्थान पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 **(प्राथमिक परिवार)** राशन कार्ड संलग्न किया गया। उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली 2013 की धारा 6(घ) के अनुरूप बी.पी.एल.कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न नही की गयी है। उनके द्वारा बी.पी.एल. कार्ड के स्थान पर खाद्य सुरक्षा कार्ड संलग्न किया जाता है, जो सरकारी योजना या किसी अन्य उदेश्य के लिए पहचान के प्रमाण के दस्तावेज के रूप मे उपयोग नही किया जाता है। इस हेतु अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि भविष्य मे सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 व उत्तराखण्ड सूचना का अधिकार नियमावली–2013 की सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत निर्धारित धनराशि या बी.पी.एल. कार्ड संलग्न कर आर.टी.आई. ऑनलाईन पोर्टल व ऑफलाईन ही सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 7(1) के अर्न्तगत सूचना अनुरोध पत्र दिनांक 05.05.2025, दिनांक 22.05.2025, दिनांक 08.06.2025 व 25.06.2025 के द्वारा लगभग एक विषय पर ही 48 घन्टे मे सूचना ई–मेल के माध्यम से खाद्य सुरक्षा कार्ड संलग्न कर सूचना मॉगी जा रही है जो लोक सूचना अधिकारी कार्यालय के द्वारा शीघ्रता से प्रेषित की जाती रही है। अपीलार्थी को सुनवाई के समय अवगत कराया गया कि आपके द्वारा मॉगी जा रही सूचना उक्त धारा से

पोषित प्रतीत नही होती है, फिर भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा आपको सूचना शीघ्रता से प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार पक्षों को सुनने के पश्चात पाया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा देय सूचना अपीलार्थी को प्रेषित कर दी गयी थी। प्रस्तुत प्रथम अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है।

अपीलार्थी उक्त निर्णय से सन्तुष्ट न होने की स्थिति मे 90 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील मा0 सूचना आयोग मे कर सकते है, पता निम्नवत है–

उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर रिंग रोड,
देहरादून ।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

कार्यालय– निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला,देहरादून

ई–मेल–: **dirahuk@gmail.com,** दूरभाष न. 0135–2532884/2532809/2532909

पत्रांक /प्रथम अपील /182/सू.अ.अ.–आदेश /2025–26 दिनाँक जुलाई, 2025

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1.श्री पंकज प्रसाद S/o श्री राम प्रसाद नौटियाल, ग्राम व पोस्ट मंजगांव, पट्टी भण्डारस्यूं, तहसील डुण्डा, जनपद– उत्तरकाशी। (पंजीकृत)

2. लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय ।

3.मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित ।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

पंजीकृत पत्र

अपील संख्या– 183/2025–26

अपीलकर्ता– श्री जगदीश जीवन चन्द्र, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अपर निदेशालय, पशुपालन विभाग, कुँमाऊ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखण्ड

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,पशुपालन निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।

//अपीलीय निर्णय//

श्री जगदीश जीवन चन्द्र, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अपर निदेशालय, पशुपालन विभाग, कुँमाऊ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखण्ड के अपीलीय पत्र दिनाँक 20.06.2025 जो निदेशालय मे दिनांक 02.07.2025 को प्राप्त हुआ, जिसमे अपीलार्थी जगदीश जीवन चन्द्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय के पत्र संख्या 988 दिनांक 27.05.2025 के द्वारा प्रेषित की गई सूचना के बिन्दु संख्या 02, 04 एंव 05 से असन्तुष्ट होने पर प्रथम अपील की गयी है।

उक्त के क्रम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या 1839/सू.अ.अ./प्र0अपील /183/2025–26 दिनांक 03.07.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अपील की तिथि व समय के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया, जिसमे सुनवाई की तिथि 18.07.2025 समय पूर्वाह्न 11.30 बजे, कक्ष सं0 207, प्रशासनिक भवन, निदेशालय पशुपालन, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून मे नियत की गई।

अपीलार्थी की अपील सुनवाई के समय डा० शिवानन्द पाठक, लोक सूचना अधिकारी, श्री मुकेश उनियाल, प्रधान सहायक/पटल सहायक, सू0अ0, मुख्यालय एंव श्री एम0एस0 पंचपाल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प्रभारी, स्थापना अनुभाग, मुख्यालय एंव श्रीमति विद्या सती, प्रधान सहायक/स्थापना पटल सहायक उपस्थित रहे तथा अपीलार्थी भी सुनवाई मे उपस्थित रहे। अपील की सुनवाई मे सर्वप्रथम अपीलकर्ता के अपीलीय पत्र दिनांक 20.06.2025 का अवलोकन किया गया, जिसमे अपीलकर्ता द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 19.04.2025 मे 06 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी, जिसमे से बिन्दु सं0 02, 04 व 05 से अपीलार्थी असन्तुष्ट थे।

बिन्दु सं0 02– अपीलार्थी का कथन था कि बिन्दु सं0 02 मे कुल पृष्ठों मे से 93 पृष्ठ ऐसे थे, जिनकी अपीलार्थी द्वारा मॉग नही की गई थी। अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त बिन्दु मे मेरे द्वारा लिपिक संवर्ग मे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुए कार्मिकों की पदोन्नति प्रक्रिया मे तैयार की गई नोटशीट व चयन समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले आलेख की सत्य प्रतिलिपि चाही गई थी, जबकि मुझे उक्त बिन्दु मे 213 पृष्ठ उपलब्ध कराये गये, जिससे अपीलार्थी से 93 पृष्ठों का अतिरिक्त शुल्क लिया गया। पत्रावली का अवलोकन पर पाया गया कि सम्बन्धित पटल प्रभारी(स्थापना) के द्वारा नोटशीट व चयन समिति के आलेख के अतिरिक्त पदोन्नति प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्त पत्रालेख उपलब्ध कराये गये। सम्बन्धित पटल प्रभारी द्वारा उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को

अधिक से अधिक सूचना की पहुॅच के उद्देशय से पदोन्नति प्रकिया के समस्त अभिलेख आंकलित कर सूचना उपलब्ध करवायी गयी।

बिन्दु सं0 04 मे अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के नियुक्ति अधिकारी निदेशक है, तो निदेशालय स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की तैयार की गई अन्तिम वरिष्ठता सूची चाही गयी। उक्त के सम्बन्ध मे प्रभारी, स्थापना अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड मे लिपिक के तीन संवर्ग है– गढ़वाल मण्डल संवर्ग, कुमॉऊ मण्डल संवर्ग व निदेशालय सवंर्ग है, जिन तीनों संवर्गो की वरिष्ठता सूची लोक सूचना अधिकारी को उपलब्ध करायी गयी, जिसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु सं0 02 मे समाहित कर उपलब्ध करवा दी गयी।

बिन्दु स0 05 से सम्बन्धित सूचना बिन्दु सं0 2 मे समाहित है, जैसा कि स्थापना अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया।

अतः उक्तानुसार तीनों पक्षों को सुनने के पश्चात पाया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सभी 06 बिन्दुओं पर पूर्ण सूचना प्रेषित की गई थी, जैसा कि प्रेषित सूचना उपलब्ध अभिलेखों मे अभिरक्षित/धारित/नियमानुसार संरक्षित थी।

अन्य कोई बिन्दु विचार के लिए शेष नही है। प्रस्तुत प्रथम अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है। यदि अपीलार्थी चाहे तो आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के अर्न्तगत नियमानुसार सम्बन्धित पत्रालियों का अवलोकन कर धारित सूचना प्राप्त कर सकते है।

अपीलार्थी उक्त निर्णय से सन्तुष्ट न होने की स्थिति मे 90 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील मा0 सूचना आयोग मे कर सकते है, पता निम्नवत है–

मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून ।

ह0/–
(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

<u>कार्यालयः– निदेशालय,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड, मोथरोवाला,देहरादून</u>

पत्रांक /प्रथम अपील /183/सू.अ.अ.–आदेश /2025–26 दिनाँक जुलाई, 2025

ई–मेल–: **dirahuk@gmail.com,** दूरभाष न. 0135–2532884/2532809/2532909

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. श्री जगदीश जीवन चन्द्र, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अपर निदेशालय, पशुपालन विभाग, कॅुमाऊ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2. प्रभारी, स्थापना अनुभाग, मुख्यालय।
3. लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय ।
4. मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून ।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

सूचना का अधिकार

पंजीकृत पत्र

अपील संख्या– 184/2025–26

अपीलकर्ता– श्री मुकेश चन्द्र भण्डारी, गली न0.04, सी.एम.टी. कॉलोनी, मानपुर पश्चिम, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,पशुपालन निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।

//अपीलीय निर्णय//

श्री मुकेश चन्द्र भण्डारी, गली न0.04, सी.एम.टी. कॉलोनी, मानपुर पश्चिम, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड के अपीलीय पत्र दिनाँक रहित जो निदेशालय मे दिनांक 03.07.2025 को प्राप्त हुआ, जिसमे अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय के पत्र संख्या 1360 दिनांक 13.06.2025 के द्वारा प्रेषित की गई सूचना के बिन्दु संख्या 01 से असन्तुष्ट होने पर प्रथम अपील की गयी है।

उक्त के क्रम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या 1855/सू.अ.अ./प्र0अपील/184/2025–26 दिनांक 04.07.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अपील की तिथि व समय के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया, जिसमे सुनवाई की तिथि 18.07.2025 समय अपराह्न 03.00 बजे, कक्ष सं0 207, प्रशासनिक भवन, निदेशालय पशुपालन, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून मे नियत की गई।

अपीलार्थी की अपील सुनवाई के समय डा० शिवानन्द पाठक, लोक सूचना अधिकारी, श्री मुकेश उनियाल, प्रधान सहायक/पटल सहायक, सू0अ0, मुख्यालय एंव प्रभारी, स्थापना अनुभाग उपस्थित रहे। अपीलार्थी सुनवाई मे उपस्थित नही रहे। अपील की सुनवाई के समय सर्वप्रथम अपीलकर्ता के अपील पत्र दिनांकरहित का अवलोकन किया गया, जिसमे अपीलकर्ता द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांकरहित मे 06 बिन्दुओं पर सूचना चाही थी, जिसमे से बिन्दु सं0 01 से अपीलार्थी असन्तुष्ट थे।

सुनवाई के समय अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिसमे अपीलार्थी द्वारा बिन्दु सं0 01 मे पशुध्न प्रसार अधिकारी प्रशिक्षण बैच 2005–2007 प्रशिक्षण मे प्राप्त अंकवार सूची चाही गयी थी, जो कि सम्बन्धित पटल प्रभारी द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नही करायी गयी। उक्त के सम्बन्ध मे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाइल न0 9719453393 पर अपील सुनी गई, जिसमे अपीलार्थी द्वारा यह अनुरोध किया गया कि उक्त सूचना आपके कार्यालय मे धारित/संरक्षित होनी चाहिए और उक्त सूचना मुझे उपलब्ध करायी जाए। इस सम्बन्ध मे प्रभारी, स्थापना अनुभाग को अवगत कराया गया कि वांछित सूचना धारित होना सम्भावित है। प्रभारी, स्थापना अनुभाग एक सप्ताह के अर्न्तगत पत्रावलियों का पुनः अवलोकन सम्बन्धित पटल प्रभारी से कराते हुए, सूचना उपलब्ध होने पर लोक सूचना अधिकारी, निदेशालय को उपलब्ध करायें तथा लोक सूचना अधिकारी वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करायें।

अतः उक्तानुसार दोनों पक्षों का सुनने के पश्चात पाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा बिन्दु सं0 01 पर अपील की गई थी, की सूचना स्थापना अनुभाग मे धारित होनी संभावित थी, जिस हेतु दोनों पक्षों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। यदि अपीलार्थी चाहे तो आदेश प्राप्त होने
के 15 दिवस के अर्न्तगत नियमानुसार सम्बन्धित पत्रालियों का अवलोकन कर धारित सूचना प्राप्त कर सकते है।

अन्य कोई बिन्दु विचार के लिए शेष नही है। प्रस्तुत प्रथम अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है।

अपीलार्थी उक्त निर्णय से सन्तुष्ट न होने की स्थिति मे 90 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील मा0 सूचना आयोग मे कर सकते है, पता निम्नवत है–

मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून ।

ह0 / –
(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक / अपीलीय अधिकारी

कार्यालयः– निदेशालय,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड, मोथरोवाला,देहरादून

पत्रांक /प्रथम अपील /184/सू.अ.अ.–आदेश /2025–26 दिनाँक मई, 2025

ई–मेल–: **dirahuk@gmail.com,** दूरभाष न. 0135–2532884/2532809/2532909

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1 श्री मुकेश चन्द्र भण्डारी, गली न0.04, सी.एम.टी. कॉलोनी, मानपुर पश्चिम, हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2. प्रभारी, स्थापना अनुभाग, मुख्यालय।
3. लोक सूचना अधिकारी,मुख्यालय ।
4.. मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक / अपीलीय अधिकारी

पंजीकृत पत्र

अपील संख्या– 185/2025–26

अपीलकर्ता– श्री संदीप जनधारी, 1डी/14 आदर्श कॉलोनी, पो0 नेहरूग्राम, नियर किसान भवन, रिंग रोड, रायपुर, देहरादून।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,पशुपालन निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।

//अपीलीय निर्णय//

श्री संदीप जनधारी, 1डी/14 आदर्श कॉलोनी, पो0 नेहरूग्राम, नियर किसान भवन, रिंग रोड, रायपुर, देहरादू, मो0 न0. 8755799992 के अपीलीय पत्र दिनाँक रहित जो सूचना अधिकार अनुभाग, निदेशालय मे दिनांक 12/06/2025 को प्राप्त हुआ, जिसमे अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय के पत्र संख्या 1623 दिनांक 23.06.2025 के द्वारा अनुरोध पत्र के बिन्दु 01, 02 एंव 05 पर जो सूचना प्रेषित की गई है, से असन्तुष्ट होने पर प्रथम अपील की गयी है।

उक्त के क्रम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या 1905 दिनांक 10.07.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अपील की तिथि व समय के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया, जिसमे सुनवाई की तिथि 29.07.2025 समय पूर्वाह्न 11:30 बजे, कक्ष सं0 207, प्रशासनिक भवन, निदेशालय पशुपालन, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून मे नियत की गई।

अपीलार्थी की अपील सुनवाई के समय डा० शिवानन्द पाठक, लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय, श्रीमति दीपिका कोटियाल, सहायक सांख्यकीय अधिकारी, मुख्यालय उपस्थित रहे। अपीलार्थी भी सुनवाई के समय उपस्थित थे । अपील की सुनवाई के समय सर्वप्रथम अपीलकर्ता के अपील पत्र दिनांकरहित का अवलोकन किया गया, जिसमे अपीलकर्ता द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांकरहित मे 05 बिन्दुओं पर सूचना चाही थी, जिसमे से बिन्दु सं0 01, 02 एंव 05 से अपीलार्थी असन्तुष्ट थे।

सुनवाई के समय अपीलार्थी द्वारा सभी बिन्दुओं पर सुनवाई किये जाने का अनुरोध किया गया। सुनवाई के समय सर्वप्रथम पत्रावली का अवलोकन करते हुए सभी बिन्दुओं पर सुनवाई निम्न प्रकार से बिन्दुवार की गई।

1. बिन्दु सं0 01 :– अपीलार्थी द्वारा उत्तराखण्ड़ मे हाल ही मे की गयी पालतू पशुओं, पक्षी एंव अन्य जीव गणना की विस्तृत जिले, जिलेवार रिपोर्ट उपलब्ध करवायी जाए। यह गणना कब–कब की जाती है।

प्रतिउत्तर– अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि वर्तमान पशुगणना का प्रकाशन भारत सरकार के स्तर से किया जाना है, जिस आशय का भारत सरकार का पत्र अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया गया तथा पशुगणना की अवधि के सम्बन्ध मे अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि प्रत्येक 5 वर्ष मे पशुगणना की जाती है। उक्त बिन्दु से अपीलार्थी सन्तुष्ट थे।

2. बिन्दु सं0 2 :– विभाग का इस प्रकार की गणना का क्या अभिप्राय है, तथा पशुपालकों के लिए किस प्रकार लाभकारी है।

प्रतिउत्तर– अपीलार्थी को इस सम्बन्ध मे विस्तृत जानकारी दी गयी, जिससे अपीलार्थी सन्तुष्ट थे।

बिन्दु सं0 3 :– विभाग के पास निराश्रित पशुओं की गणना का कोई रिकार्ड उपलब्ध है, यदि है तो वह उपलब्ध करवाया जाये, जिससे यह बताया गया हो कि प्रतिवर्ष कितने निराश्रित पशुओं की बढ़ोतरी हुई है।

प्रतिउत्तर– इस सम्बन्ध मे अपीलार्थी को 20 वीं पशुगणना की बुकलेट उपलब्ध करवायी गयी, जिसमे निराश्रित पशुओं के साथ–साथ अन्य पशुओं की गणना सम्मिलित है। उक्त बिन्दु से अपीलार्थी सन्तुष्ट थे।

बिन्दु सं0 4 :– विभाग के द्वारा निराश्रित पशुओं के रख रखाव की कोई पॉलिसी है उसकी जानकारी उपलब्ध करवायी जाये।

प्रतिउत्तर– इस सम्बन्ध मे अपीलार्थी को विस्तार से निराश्रित पशुओं के रख रखाव की पॉलिसी के सम्बन्ध मे अवगत करवाया गया, जिससे अपीलार्थी सन्तुष्ट थे।

बिन्दु सं0 5 :– विभाग के द्वारा पशुपालकों के हित(जन–जागरूकता) मे किये गये खर्चो की जानकारी उपलब्ध करवायी जाये। साथ ही यहॉ स्पस्ट रूप से अंकित किया जाये कि यह खर्चा किस–किस मद मे किया गया है।(योजनाओं के विज्ञापन प्रचार–प्रसार, समाचार पत्र, न्यूज पोर्टल इत्यादि)। **प्रतिउत्तर–** इस सम्बन्ध मे अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी द्वारा पूर्व मे ही 14 पृष्ठों पर सूचना उपलब्ध करवायी गयी थी। अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध मे और जानकारी चाही गयी, जिससे उन्हें अवगत करवाया गया, तथा अपीलार्थी जानकारी से सन्तुष्ट थे।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी के सभी 5 बिन्दुओं पर सुनवाई उपरान्त, अपीलार्थी द्वारा सन्तुष्टी व्यक्त की गई। यदि अपीलार्थी चाहे तो आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के अर्न्तगत कार्यदिवस मे नियमानुसार सम्बन्धित पत्रालियों का अवलोकन कर धारित सूचना प्राप्त कर सकते है।

अन्य कोई बिन्दु विचार के लिए शेष नही है। प्रस्तुत प्रथम अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है। अपीलार्थी उक्त निर्णय से सन्तुष्ट न होने की स्थिति मे 90 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील मा0 सूचना आयोग मे कर सकते है, पता निम्नवत है–

मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून ।

ह0 / –
(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक / अपीलीय अधिकारी

<u>कार्यालयः– निदेशालय,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड, मोथरोवाला,देहरादून</u>

पत्रांक /प्रथम अपील /185/सू.अ.अ.–आदेश /2025–26 दिनाँक अगस्त, 2025

ई–मेल–: **dirahuk@gmail.com,** दूरभाष न. 0135–2532884 / 2532809 / 2532909

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1 श्री संदीप जनधारी, 1डी/14 आदर्श कॉलोनी, पो0 नेहरूग्राम, नियर किसान भवन, रिंग रोड, रायपुर, देहरादू, मो0 न0. 8755799992

2. मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

सूचना का अधिकार

<u>पंजीकृत पत्र</u>

<u>अपील संख्या– 186/2025–26</u>

अपीलकर्ता– श्री शैलेन्द्र सिह गुंसाई पुत्र श्री के.एस. गुंसाई, निवास गली न. ए–12, टिहरी विस्थापित, न्यू शिवालिक नगर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,पशुपालन निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।

<u>//अपीलीय निर्णय//</u>

श्री शैलेन्द्र सिह गुंसाई पुत्र श्री के.एस. गुंसाई, निवास गली न. ए–12, टिहरी विस्थापित, न्यू शिवालिक नगर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड के अपीलीय पत्र दिनाँक 14.07.2025 जो निदेशालय मे दिनांक 18.07.2025 को प्राप्त हुआ, जिसमे अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय के पत्र संख्या 1921 दिनांक 11.07.2025 के द्वारा चाही गये बिन्दुओं पर प्राप्त सूचना से असन्तुष्ट होने पर प्रथम अपील की गयी है।

उक्त के क्रम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या 2068/सू.अ.अ./प्र0अपील/186/2025–26 दिनांक 25.07.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अपील की तिथि व समय के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया, जिसमे सुनवाई की तिथि 06.08.2025 समय पूर्वाह्न 11.30 बजे, कक्ष सं0 207, प्रशासनिक भवन, निदेशालय पशुपालन, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून मे नियत की गई।

अपीलार्थी की अपील सुनवाई के समय डा० शिवानन्द पाठक, लोक सूचना अधिकारी, श्री मुकेश उनियाल, प्रधान सहायक/पटल सहायक, सू0अ0, मुख्यालय एंव श्री राहुल रावत, वरिष्ठ सहायक, स्थापना अनुभाग उपस्थित रहे। अपीलार्थी के प्रतिनिधी श्री देवेश शर्मा सुनवाई के समय उपस्थित रहे। अपील की सुनवाई के समय सर्वप्रथम अपीलकर्ता के अपील पत्र दिनांक 14.07.2025 का अवलोकन किया गया, जिसमे अपीलकर्ता द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 09.06.2025 मे 03 बिन्दुओं पर सूचना चाही थी, तथा प्राप्त सूचना से अपीलार्थी असन्तुष्ट थे।

सुनवाई के समय अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिसमे निम्नानुसार सुनवाई की गई।

पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी विज्ञप्ति संख्या 574/स्था0एक/प0चि0फा0अ0/2025–26 दिनांक 02 मई, 2025 के कम मे।

1. बिन्दु सं0 01 :– यह कि उक्त भर्ती प्रकिया मे ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के कितने आवेदन प्राप्त हुए है।

प्रतिउत्तर– अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि वर्तमान मे पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी के आवेदनो की जॉच का कार्य गतिमान है, तत्पश्चात परिणाम घोषित किया जाना प्रस्तावित है। भर्ती की प्रक्रिया गतिमान होने के कारण परिणाम घोषित होने तक सूचना दिये जाने पर तृतीय पक्ष प्रभावित हो सकता है। इस प्रकार परिणाम घोषित होने तक उक्त सूचना दी जानी सम्भव नही है। उक्त के सम्बन्ध मे अपीलार्थी के प्रतिनिधि को विस्तृत जानकारी दी गई। जिससे अपीलार्थी के प्रतिनिधि सन्तुष्ट थे।

2. बिन्दु सं0 2 :– यह कि ई.डब्ल्यू.एस0 कैटेगरी के प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

प्रतिउत्तर– पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी के चयन की प्रकिया गतिमान है और परिणाम घोषित होने के पश्चात सूचना सार्वजनिक होने पर सूचना लोकहित मे नियमानुसार देय है। जिससे अपीलार्थी के प्रतिनिधि सन्तुष्ट थे।

बिन्दु सं0 3 :– यह कि ई.डब्ल्यू.एस. के अभ्यर्थियों की समस्त प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध करायें।

प्रतिउत्तर– पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारी के चयन की प्रकिया गतिमान है और परिणाम घोषित होने के पश्चात सूचना सार्वजनिक होने पर सूचना लोकहित मे नियमानुसार देय है। जिससे अपीलार्थी के प्रतिनिधि सन्तुष्ट थे।

अतः उक्तानुसार तीनों पक्षों को सुनने के पश्चात पाया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सभी 03 बिन्दुओं पर प्रेषित की गयी देय सूचना नियमानुसार पूर्ण थी, जैसा कि प्रेषित सूचना उपलब्ध अभिलेखों मे अभिरक्षित/धारित/नियमानुसार संरक्षित थी।

अन्य कोई बिन्दु विचार के लिए शेष नही है। प्रस्तुत प्रथम अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है।

अपीलार्थी उक्त निर्णय से सन्तुष्ट न होने की स्थिति मे 90 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील मा0 सूचना आयोग मे कर सकते है, पता निम्नवत है–

मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून ।

ह0/–(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

कार्यालयः– निदेशालय,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड, मोथरोवाला,देहरादून

पत्रांक /प्रथम अपील /184/सू.अ.अ.–आदेश /2025–26 दिनाँक मई, 2025

ई–मेल–: **dirahuk@gmail.com,** दूरभाष न. 0135–2532884/2532809/2532909

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1.श्री शैलेन्द्र सिह गुंसाई पुत्र श्री के.एस. गुंसाई, निवास गली न. ए–12, टिहरी विस्थापित, न्यू शिवालिक नगर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड। (पंजीकृत पत्र)।

2. स्थापना अनुभाग, मुख्यालय।

3. लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय ।

4.. मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

सूचना का अधिकार

पंजीकृत पत्र

अपील संख्या– 187/2025–26

अपीलकर्ता– श्री जगदीश जीवन चन्द्र, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अपर निदेशालय, पशुपालन विभाग, कुॅमाऊ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखण्ड

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,पशुपालन निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।

//अपीलीय निर्णय//

श्री जगदीश जीवन चन्द्र, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अपर निदेशालय, पशुपालन विभाग, कुॅमाऊ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखण्ड के अपीलीय पत्र दिनाँक 26.08.2025 जो निदेशालय मे दिनांक 26.08.2025 को ई–मेल से प्राप्त हुआ, जिसमे अपीलार्थी श्री जगदीश जीवन चन्द्र द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय के पत्र संख्या 2067 दिनांक 30.07.2025 के द्वारा प्रेषित की गई सूचना से असन्तुष्ट होने पर प्रथम अपील की गयी है।

उक्त के क्रम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या 2585/सू.अ.अ./प्र0अपील/187/2025–26 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अपील की तिथि व समय के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया, जिसमे सुनवाई की तिथि 15.09.2025 समय पूर्वाह्न 11.30 बजे, कक्ष सं0 207, प्रशासनिक भवन, निदेशालय पशुपालन, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून मे नियत की गई।

अपीलार्थी की अपील सुनवाई के समय डा० शिवानन्द पाठक, लोक सूचना अधिकारी, श्री मुकेश उनियाल, प्रधान सहायक/पटल सहायक, सू0अ0/अपील, मुख्यालय एंव मीनाराज, पटल प्रभारी, स्थापना अनुभाग, मुख्यालय उपस्थित रहे तथा अपीलार्थी भी सुनवाई मे उपस्थित रहे।

अपील की सुनवाई मे सर्वप्रथम अपीलकर्ता के अपीलीय पत्र दिनांक 26.08.2025 का अवलोकन किया गया, जिसमे अपीलकर्ता द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 18.07.2025 मे नियुक्ति अधिकारी के कर्तव्य/दायित्व से संबंधित शासनादेश अवलोकन करने एंव उपलब्ध कराने के संबंध मे है।

नियुक्ति अधिकारी के कर्तव्य/दायित्व/अधिकार के संबंध मे स्थापना अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नियुक्ति अधिकारी से संबंधित जो भी शासनदेश वर्तमान मे कार्यालय मे धारित है, अपीलकर्ता को अवलोकन एंव उपलब्ध करा दिये गये है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जो सूचना स्थापना अनुभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी है, अनुरोधकर्ता को ससमय प्रेषित कर दी गई है।

अतः उक्तानुसार तीनों पक्षों को सुनने के पश्चात पाया गया कि स्थापना अनुभाग मे उक्त के सम्बन्ध मे जो भी शासनादेश कार्यालय मे धारित थे, अपीलकर्ता को अवलोकन कराते हुए, प्रेषित कर दिये गये है । अन्य कोई बिन्दु विचार के लिए शेष नही है।

प्रस्तुत प्रथम अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है। यदि अपीलार्थी चाहे तो आदेश प्राप्त होने के 15 दिवस के अर्न्तगत किसी भी कार्यदिवस मे नियमानुसार सम्बन्धित पत्रालियों का अवलोकन कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकते है।

अपीलार्थी उक्त निर्णय से सन्तुष्ट न होने की स्थिति मे 90 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील मा0 सूचना आयोग मे कर सकते है, पता निम्नवत है–

मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून ।

ह0/–
(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

कार्यालयः– निदेशालय,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड, मोथरोवाला,देहरादून

पत्रांक /प्रथम अपील /187/सू.अ.अ.–आदेश /2025–26 दिनाँक सितम्वर, 2025

ई–मेल–: **dirahuk@gmail.com,** **दूरभाष न. 0135–2532884/2532809/2532909**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. श्री जगदीश जीवन चन्द्र, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, अपर निदेशालय, पशुपालन विभाग, कुॅमाऊ मण्डल हल्द्वानी नैनीताल, उत्तराखण्ड।
2. प्रभारी, स्थापना अनुभाग, मुख्यालय।
3. लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय ।
4. मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून ।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

पंजीकृत पत्र

अपील संख्या– 188/2025–26

अपीलकर्ता– श्री अंकित कुमार शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा श्री शैलेन्द्र सिह गुसाई, गली न0 ए–12, टिहरी विस्थापित, न्यू शिवालिक नगर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,पशुपालन निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।

//अपीलीय निर्णय//

श्री अंकित कुमार शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा श्री शैलेन्द्र सिह गुसाई, गली न0 ए–12, टिहरी विस्थापित, न्यू शिवालिक नगर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड के अपीलीय पत्र दिनाँक 29.11.2025 जो निदेशालय मे दिनांक 05.12.2025 को प्राप्त हुआ, जिसमे अपीलार्थी श्री अंकित कुमार शर्मा द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय के पत्र संख्या 4655 दिनांक 19.11.2025 के द्वारा प्रेषित की गई सूचना अधूरी एंव असत्य प्राप्त होने पर, सूचना से असन्तुष्ट है, जिससे प्रथम अपील की गयी है।

उक्त के क्रम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या 5030/प्रथम अपील/188/2025–26 दिनांक 09.12.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अपील की तिथि व समय के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया, जिसमे सुनवाई की तिथि 22.12.2025 समय पूर्वाह्न 11.30 बजे, कक्ष सं0 207, प्रशासनिक भवन, निदेशालय पशुपालन, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून मे नियत की गई।

अपीलार्थी की अपील सुनवाई के समय अपीलार्थी सुनवाई मे उपस्थित रहे। अपील की सुनवाई मे सर्वप्रथम अपीलकर्ता के अपीलीय पत्र दिनांक 29.11.2025 का अवलोकन किया गया, जिसमे अपीलकर्ता द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 07.11.2025 मे पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारीयों की विज्ञप्ति संख्या 574 दिनांक 2 मई, 2025 के संबंध मे 07 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी। पत्रावलियों के अवलोकन से यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा विज्ञप्ति संख्या 574 दिनांक 2 मई, 2025 के तहत आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के अभिलेखों की छायाप्रतियॉ चाही गयी थी। वर्तमान मे पशुचिकित्सा फार्मेसी अधिकारीयों की चयन प्रकिया गतिमान है, जिस कारण से अपीलार्थी को उक्त आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र उपलब्ध नही कराये गये। सुनवाई के समय अपीलार्थी द्वारा यह मॉग की गई कि मुझे आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों का, निर्गत आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय जिससे मै उक्त प्रमाण पत्रों की सत्यता की पुष्टि करा पांऊ। सुनवाई के समय अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि वर्तमान मे चयन प्रक्रिया गतिमान है, जिससे अभी अभिलेख दिये जाने नियमानुसार देय नही है, तथा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(ञ) से भी आच्छादित है, जिसे व्यापक लोकहित मे ही देय है। जिससे अपीलार्थी असंतुष्ट थे।

अन्य कोई बिन्दु विचार के लिए शेष नही है, अतः प्रस्तुत प्रथम अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है।

अपीलार्थी उक्त निर्णय से सन्तुष्ट न होने की स्थिति मे 90 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील मा0 सूचना आयोग मे कर सकते है, पता निम्नवत है–

मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, **सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून ।**

ह0 / –
(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक / अपीलीय अधिकारी

<u>कार्यालयः– निदेशालय,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड, मोथरोवाला,देहरादून</u>

पत्रांक /प्रथम अपील /187/सू.अ.अ.–आदेश /2025–26 दिनाँक सितम्वर, 2025 ई–मेल–ः **dirahuk@gmail.com,** दूरभाष न. **0135–2532884/2532809/2532909**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1.श्री अंकित कुमार शर्मा पुत्र श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा श्री शैलेन्द्र सिह गुसाई, गली न0 ए–12, टिहरी विस्थापित, न्यू शिवालिक नगर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
2. लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय ।
3. मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून ।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक / अपीलीय अधिकारी

पंजीकृत पत्र

अपील संख्या– 189/2025–26

अपीलकर्ता– श्री एम.एस.राणा(संस्थापक सदस्य), मौलिक अधिकार एसोसिऐसन, बी.6–49 अजबपुरकलां,देहरादून, मो0 9719198337 ।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,पशुपालन निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।

//अपीलीय निर्णय//

श्री एम.एस.राणा(संस्थापक सदस्य), मौलिक अधिकार एसोसिऐसन, बी.6–49 अजबपुरकलां, देहरादून, उत्तराखण्ड के अपीलीय पत्र दिनाँक 20.02.2026 जो निदेशालय मे दिनांक 21.02.2026 को प्राप्त हुआ, जिसमे अपीलार्थी श्री एम.एस.राणा द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय के पत्र संख्या 5073 दिनांक 11.12.2025 के द्वारा प्रेषित की गई सूचना अधूरी होने एंव सूचना से असन्तुष्ट होने पर प्रथम अपील की गयी।

उक्त के क्रम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या 6479/प्रथम अपील/189/2025–26 दिनांक 25.02.2026 के द्वारा अपीलार्थी को अपील की सुनवाई की तिथि व समय के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया, जिसमे सुनवाई की तिथि 16.03.2026 समय पूर्वाह्न 11.30 बजे, कक्ष सं0 207, प्रशासनिक भवन, निदेशालय पशुपालन, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून मे नियत की गई। सुनवाई के समय अपीलार्थी के फोन न0 9719198337 पर सम्पर्क किया गया, जिसमे अपीलार्थी द्वारा मौखिक व अपने पत्र दिनांक 16 मार्च, 2026 द्वारा अवगत कराया गया कि वह शहर से बाहर हैं, जिससे अपील मे उपस्थित होना संभव नही है। अपीलार्थी द्वारा माह अप्रैल, 2026 के प्रथम सप्ताह मे अपील की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित करने हेतु अवगत कराया गया। इसके क्रम मे कार्यालय पत्र संख्या 7194 दिनांक 23 मार्च, 2026 के द्वारा अपील सुनवाई की अगली तिथि 06.04.2026 समय पूर्वाह्न 11.30 बजे निर्धारित करते हुए अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र द्वारा अवगत कराया गया।

दिनांक 06.04.2026 को अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी सुनवाई मे उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ वित्त अधिकारी, मुख्यालय, लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय एंव अन्य संबंधित कार्मिक अपील की सुनवाई मे उपस्थित रहे। सर्वप्रथम अपीलकर्ता के अपीलीय पत्र दिनांक 20.02.2026 एंव संबंधित पत्रावलियों का का अवलोकन किया गया, जिसमे अपीलकर्ता द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 06.11.2025 मे चाही गयी 10 बिन्दुओं की सूचना अधूरी होना बताया गया तथा अवगत कराया गया कि मुझे 116 पृष्ठ, जिनकी धनराशि रू0 232.00 मात्र होते है, की ही सूचना दी गयी, जबकि मेरे द्वारा (अपीलार्थी) आपके कार्यालय के कैशियर को विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों के विवरण के साथ रू0 1538.00 जमा किये गये।

उक्त के संबंध मे लोक सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय पत्र संख्या 4649 दिनांक 18 नवम्बर 2025 द्वारा अनुरोधकर्ता से अतिरिक्त शुल्क के रूप मे रू0 232.00 मात्र की मॉग की गई थी, जबकि अनुरोधकर्ता द्वारा अन्य विभागों से चाही गयी सूचना की धनराशि भी निदेशालय पशुपालन मे जमा कर दी गयी। कार्यालय पत्र संख्या 5073 दिनांक 11 दिसम्वर द्वारा

अनुरोधकर्ता को 116 पृष्ठों की सूचना प्रेषित करते हुए, प्राप्त अधिक धनराशि रू0 1308.00 मात्र अनुरोधर्ता को उपलब्ध कराये जाने हेतु कैशियर मुख्यालय को निर्देशित कर दिया गया था। इस संबंध मे कैशियर मुख्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि रू0 232.00मात्र का चालान राजकोष मे जमा करवा दिया गया है एंव शेष प्राप्त अधिक धनराशि रू0 1308.00 अपीलकर्ता को हस्तगत किये जाने हेतु प्रस्तुत है। अपीलकर्ता, कैशियर के उक्त कथन से असन्तुष्ट थे और अपीलार्थी द्वारा कथन किया गया कि यदि अन्य धनराशि अन्य विभागो के लोक सूचना अधिकारियों से संबंधित थी तो मेरे द्वारा(अपीलार्थी) संबंधित लोक सूचना अधिकारियों के विवरण के साथ धनराशि जब कैशियर को जमा की जा रही थी तो उनके द्वारा बिना अवलोकन किये ही मेरे से रू0 1308.00मात्र अतिरिक्त क्यों प्राप्त किया गया, जो कि धनराशि प्राप्त करने वाले कार्मिक की लापरवाही दर्शाता है।

तत्पश्चात सुनवाई के अन्त मे कैशियर लेखा अनुभाग, मुख्यालय को निर्देशित किया गया कि भविष्य मे इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाय।

अन्त मे अपीलार्थी को रू0 1308.00 मात्र नकद कैशियर द्वारा प्राप्त करवाये गये और अपीलार्थी दी गयी 116 पृष्ठों की सूचना से सन्तुष्ट थे।

अपील मे उभयपक्षों को सुनने के पश्चात एंव अपीलकर्ता द्वारा सन्तुष्टि व्यक्त करने पर एंव अन्य कोई बिन्दु विचार के लिए शेष नही होने पर, प्रस्तुत प्रथम अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है।

अपीलार्थी उक्त निर्णय से सन्तुष्ट न होने की स्थिति मे 90 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील मा0 सूचना आयोग मे कर सकते है, पता निम्नवत है–

मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून ।

ह0/–
(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

अपीलीय अधिकारी, निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड मोथरोवाला, देहरादून ।
पत्रांक /प्रथम अपील /189/सू.अ.अ.–आदेश /2026–27 दिनाँक अप्रैल, 2026
ई–मेल–: dirahuk@gmail.com, दूरभाष न. 0135–2532884/2532809/2532909

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री एम.एस.राणा(संस्थापक सदस्य), मौलिक अधिकार एसोसिऐसन, बी.6–49 अजबपुरकलां, देहरादून, मो0 9719198337 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कैशियर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि भविष्य मे यदि आपके द्वारा सूचना अधिकार से संबंधित शुल्क किसी अनुरोधकर्ता से प्राप्त किया जाता है तो शुल्क प्राप्त करने से पूर्व लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय से संपर्क करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि अनरुोधकर्ता से निर्धारित शुल्क ही प्राप्त किया जा सके।
3. लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय ।
4. मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून ।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

//पंजीकृत//

<u>अपील संख्या– 01(ऑनलाईन)/12.07.2024</u>

अपीलकर्ता–श्री विमल सिह, झन्डीचौड नार्थ, कोटद्वार, पौडी गढ़वाल।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

<u>अपीलीय निर्णय</u>

श्री विमल सिह, झन्डीचौड नार्थ, कोटद्वार, पौडी गढ़वाल के द्वारा आर.टी.आई. ऑनलाईन पोर्टल पर प्रथम अपील, अपने सूचना अनुरोध पत्र संख्या AHDUK /R/2024 /60001 दिनांक 13.05.2024 के क्रम मे लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रेषित सूचना से सन्तुष्ट न होने पर अपील सं. AHDUK/A/2024/60001 दिनांक 22.06.024, के द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर अपील की गयी, जिसके क्रम मे इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र संख्या 1292/सू.अ.अ./अपील सं. 01/ऑनलाईन पो0/2024–25 दिनांक 27 जून, 2024 द्वारा सुनवाई की नियत तिथि व समय दिनांक 12.07.2024 समय पूर्वान्ह 11.30 बजे, कक्ष सं. 207, पशुपालन निदेशालय, मोथरोवाला रोड, देहरादून निर्धारित करते हुए, सूचना प्रेषित की गयी। सुनवाई की तिथि को डा0 जगमोहन सिह असवाल, संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी, पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून, डा0 शिवानन्द पाठक, उप निदेशक/लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून एंव श्री मुकेश उनियाल, प्रधान सहायक/सहायक लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून उपस्थित रहे। अपीलार्थी सुनवाई के समय अनुपस्थित रहे। सुनवाई के समय अभिलेखो का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के अपील पत्र का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलकर्ता ने अपील पत्र मे यह उल्लेख किया है कि प्रदान की गयी सूचना पूर्ण नही है, बिन्दु 01 व 02 के सापेक्ष कोई भी सूचना प्रदान नही की गयी है, साथ ही पाया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपीलपत्र के साथ मूल अनुरोध पत्र एंव लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी सूचना का पत्र संलग्न नही किया गया था। अपील की सुनवाई के समय सर्वप्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के मोबाइल न. 9837783171 पर अपीलार्थी के असन्तुष्ट बिन्दुओं पर दूरभाष पर दिनांक 12.07.2024 को सुनवाई की गयी।

बिन्दु सं. 01– पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड अर्न्तगत पशु सेवा केन्द्रों को विभागीय कार्यों के वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण एंव प्रेषण पशु सेवा केन्द्रों को उनके किस उच्च स्तर द्वारा एंव वर्ष की किस तिथि तक किया जाता है।

सुनवाई– सुनवाई के दौरान लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी को अवगत कराया गया कि सम्बन्धित बिन्दु की सूचना इस कार्यालय मे धारित नही है। सम्बन्धित सूचना पशुपालन विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों एंव उनके अधीनस्थ संस्थाओं मे धारित होनी संभावित है, जिस हेतु पत्र के साथ पशुपालन विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों के समस्त लोक सूचना अधिकारियों की सूची संलग्न कर प्रेषित की गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी से दूरभाष से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध मे वार्ता की गई जिसमे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित बिन्दु की सूचना निदेशालय स्तर पर धारित नही है, जिस हेतु लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय द्वारा आपको (अपीलार्थी) पशुपालन विभाग के समस्त जिला स्तरीय लोक सूचना अधिकारियों की सूची प्रेषित की गयी है।

बिन्दु सं. 02– पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के जनपद स्तर से प्राप्त समान विभागीय कार्यों के वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण व फांट/बंटवारा पशुचिकित्सालय एंव पशु सेवा केन्द्रो के मध्य किन आधार व मानकों के अनुसार किया जाता है।

सुनवाई–अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दूरभाष पर अवगत कराया गया कि पशुचिकित्सालय एंव पशु सेवा केन्द्रों के अर्न्तगत ग्रामों मे सम्बन्धित संस्था के अर्न्तगत पशु संख्या के आधार पर लक्ष्य आवंटित किये जाते है।

अतः अपील के उक्त दोनों बिन्दुओं पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को प्रेषित सूचना से अपीलीय अधिकारी सन्तुष्ट थे व साथ ही उक्त दोंनों बिन्दुओं के सम्बन्ध मे अपीलकर्ता से भी वार्ता कर अवगत कराया गया। अपील के दोनों बिन्दुओं पर सुनवाई उपरान्त निस्तारित करते हुए प्रस्तुत प्रथम अपील को निक्षेपित

किया जाता है। अपीलार्थी के सूचना अनुरोध पत्र के वॉछित बिन्दुओं के सम्बन्ध मे यदि अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर किसी भी कार्यदिवस मे निदेशालय मे उपस्थित होकर नियमानुसार प्राप्त कर सकते तथा सन्तुष्ट न हो तो मा0 सूचना आयोग मे द्वितीय अपील 90 दिवस के अन्दर कर सकते है, जिनका पता निम्नवत है–:

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर
रिंग रोड़, देहरादून।

(डा0 जगमोहन सिह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी
पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड

कार्यालय– निदेशालय, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला रेाड, देहरादून।
पत्रांक– **1636–38**/सू0अ0अधि0/प्र0अप0/फा0स0–01(ऑन)/2024–25 दिनांक–**20/07/2024**
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री विमल सिह, झन्डीचौड नार्थ, कोटद्वार, पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड– 246149।
2. लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय।
3. मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर रिंग रोड़, देहरादून।

(डा0 जगमोहन सिह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी
पशुपालन निदेशालय, उत्तराखण्ड

//पंजीकृत//

<u>अपील संख्या–176/25.11.2024</u>
अपीलकर्ता– श्रीमति प्राची, 58/145ए अपर सिनोला, निकट मालसी जू, देहरादून
बनाम
लोक सूचना अधिकारी,पशुपालन निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।
<u>अपीलीय निर्णय</u>

श्रीमति प्राची, 58/145, अपर सिनोला, निकट मालसी जू, देहरादून के अपीलीय पत्र दिनॉक 04.11.2024 जो अधोहस्ताक्षरी को दिनॉक 06.11.2024 को प्राप्त हुआ, के कम में अपील की सुनवाई दिनॉक 25.11.2024 पूर्वान्ह 11.30 बजे निर्धारित की गयी, जिसकी जानकारी अपीलकर्ता को पंजीकृत पत्र सं0 3832/सू.अ.अ./अपील सं.176/2024–25 दिनांक 14.11.2024 के द्वारा प्रेषित कर दी गयी। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपीलीय पत्र में लोक सूचना अधिकारी निदेशालय,पशुपालन के द्वारा उनके मूल अनुरोध पत्र 24.09.2024 जो लोक सूचना अधिकारी,निदेशालय को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनॉक 27.09.2024 को प्राप्त हुआ में चाही गयी बिन्दु संख्या 01 से 03 तक की सूचना में से जो सूचना उपलब्ध करायी गयी से उन्हें अपूर्ण, अस्पस्ट एंव सटीक जानकारी न बताते हुए प्रथम अपील की गयी है।

दिनॉक 25.11.2024 को प्रथम अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थिनी श्रीमती प्राची स्वंय उपस्थित रही तथा सुनवाई के समय डा० शिवानन्द पाठक, लो0सू0अ0, श्री कुलदीप भण्डारी, प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना अनुभाग, श्री मुकेश उनियाल, सहा0लो0सू0अ0 उपस्थित रहे। सुनवाई के समय लो0सू0अ0 द्वारा अपील किये गये बिन्दु 1, 2, 3, के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि अपीलार्थिनी के अनुरोध पत्र दिनॉक 24.09.2024 की बिन्दुवार सूचना अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र सं0 3324 दिनॉक 18.10.2024 द्वारा प्रेषित कर दी गयी थी।

उक्त अपील की तिथि को अपीलार्थिनी के अनुरोध पत्र के 03 बिन्दुओं पर निम्नानुसार सुनवाई की गयी।

बिन्दु सं0 01– पशुपालन विभाग के अनतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के पद के द्विवर्षीय प्रशिक्षण हेतु लिखित परीक्षा–2015 के क्रम में पशुधन प्रसार अधिकारी चयन परीक्षा–2015 में राज्य आंदोलनकारी आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के तहत आवंटित 11 पदों पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी, जिन पर नियुक्तियॉ अथवा परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया था। उक्त पदों (राज्य आंदोलनकारी चिन्हित) के लिए आरक्षित पदों की रिक्तता अथवा नियुक्ति की 2015 से वर्तमान समय तक क्या स्थिति हैं ?

प्रतिउत्तर– सुनवाई के समय अपीलार्थिनी के उक्त बिन्दु पर चर्चा की गयी, जिसमें अपीलार्थिनी द्वारा दिनॉक 07. 01.2015 की जारी विज्ञप्ति की प्रमाणित छायाप्रति की मॉग की गयी व उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–1094 / बीस–4 / 2013–5(16) / 2011 गृह अनुभाग दिनॉक 08.08.2014 के साथ संलग्न मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय writ petition No.67 of 2011 में पारित आदेश की प्रति की मॉग की गई। उक्त चाही गई सूचना की प्रतियॉ, सुनवाई के पश्चात् अपीलार्थी व उपलब्ध करवा दी गई जिस पर अपीलार्थिनी द्वारा सन्तुष्टि व्यक्त की गई।

बिन्दु सं0 02– कृपया यह अवगत करायें कि 2015 की (पशुधन प्रसार अधिकारी) के पदों पर राज्य आंदोलनकारी कोटा की क्या स्थिति है ?

प्रतिउत्तर– सुनवाई के समय अपीलार्थिनी के उक्त बिन्दु पर चर्चा की गयी, जिसकी सूचना बिन्दु 01 मे दी गयी सूचना मे समाहित है,जिससे अपीलार्थिनी सन्तुष्ट थी।

बिन्दु सं0 03– क्या अभी तक उक्त पद रिक्त है ? या उक्त पदों की विज्ञप्ति पुनः जारी की गई है ? अथवा उक्त पदों की नियुक्तियॉ की जा चुकी हैं?

प्रतिउत्तर– – सुनवाई के समय अपीलार्थिनी के उक्त बिन्दु पर चर्चा की गयी, जिसकी सूचना बिन्दु 01 मे दी गयी सूचना मे समाहित है, जिससे अपीलार्थिनी सन्तुष्ट थी।

अतः अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो वे द्वितीय अपील, निम्न पते पर में 90 दिन के अन्दर कर सकते है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून ।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक / अपीलीय अधिकारी

<u>कार्यालयः– निदेशालय,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड देहरादून</u>

पत्रांक 4268 / प्रथम अपील 176 / सू.अ.अ.–आदेश / 2024–25 दिनॉक 09 / 12 / 2024

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपीलार्थी श्रीमति प्राची, 58 / 145, अपर सिनोला, निकट मालसी जू, देहरादून ।
2. लोक सूचना अधिकारी,मुख्यालय ।
3. मा0 उत्तराखण्ड, सूचना आयोग,रिंग रोड,सूचना अधिकार भवन,देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक / अपीलीय अधिकारी

/ /पंजीकृत/ /

<u>अपील संख्या–177 / 09.12.2024</u>

अपीलकर्ता– श्री नानकचन्द लोहिया(सचिव) भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी, जिला नैनीताल–263139

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,पशुपालन निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।

<u>अपीलीय निर्णय</u>

श्री नानकचन्द लोहिया(सचिव) भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी, जिला **नैनीताल** के अपीलीय पत्र दिनॉक 09.11.2024, जो अधोहस्ताक्षरी को दिनॉक 11.11.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसमे अपीलार्थी श्री नानकचन्द लोहिया द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय के पत्र संख्या 3486 दिनांक 21.10.2024 के द्वारा प्रेषित की गई सूचना के बिन्दु 01 एंव 03 से असन्तुष्ट हूॅ, जिस कारण प्रथम अपील की गयी।

उक्त के क्रम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या 3891 / सू.अ.अ. / अपील सं.177 / 2024–25 दिनांक 18.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अपील की तिथि व समय के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया, जिसमे सुनवाई की तिथि 09.11.2024 समय पूर्वान्ह 11.30 बजे, कक्ष सं0 207, प्रशासनिक भवन, निदेशालय पशुपालन, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून मे नियत की गई।

अपीलार्थी की अपील सुनवाई के समय डा० शिवानन्द पाठक, लोक सूचना अधिकारी, श्री मुकेश उनियाल, सहायक, लोक सूचना अधिकारी व स्थापना अनुभाग, मुख्यालय के सम्बन्धित कार्मिक उपस्थित रहे। अपीलार्थी उपस्थित नही थे, जिस हेतु उनके द्वारा अपने अपीलीय पत्र मे उल्लेख किया गया था कि अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई की तिथि को उन्हे मो0 न0 9412036360 पर सम्पर्क किया जाए। सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी, निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र संख्या 3486 दिनांक 21.10.2024 के द्वारा कार्यालय मे धारित सूचना प्रेषित की गई है।

इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी का पक्ष सुनने के पश्चात अपीलार्थी के अनुरोध पत्र के बिन्दु 01 एंव 03 पर की गई अपील की निम्नानुसार सुनवाई की गयी।

अपील की सुनवाई मे सर्वप्रथम अपीलकर्ता के अपील पत्र दिनांक 09.11.2024 का अवलोकन किया गया, जिसमे अनुरोधकर्ता द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 18.09.2024 मे 05 बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी थी।

बिन्दु सं0 01– उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम 2009 व सम्बन्धित शासनादेशों के समुचित अनुपालन के लिए जो जॉच बिन्दु निर्धारित किये गये है, विवरण सहित।

सुनवाई– सुनवाई हेतु अपीलार्थी को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये दूरभाष नं0 9412036360 पर सम्पर्क किया गया तथा अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया कि राजभाषा से सम्बन्धित विभाग के द्वारा अधीनस्थ संस्थाओं को हिन्दी भाषा का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध मे आदेश / निर्देश निर्गत किये गये हो, तो उसकी प्रति चाही गई थी। उक्त के क्रम मे इस कार्यालय के पत्र सं0 4165 / स्था0एक / सा0भा0 / 2024–25 दिनांक 03 दिसम्वर 2024 द्वारा समस्त विभागीय संस्थाओं को इस सम्बन्ध मे पत्र जारी कर दिया गया है, जिसकी प्रति तत्समय अपीलकर्ता को भी व्हाटसअप के माध्यम से उपलब्ध करवा दी गयी तथा पत्र की छायाप्रति अपील की सुनवाई के पत्र के साथ पंजीकृत डाक से प्रेषित किये जाने हेतु वार्ता की गई, जिस पर अपीलकर्ता द्वारा सन्तुष्टि व्यक्त की गयी।

अपील हेतु बिन्दु सं0 03– धारा 4 की कुछ सूचनायें कार्यालय द्वारा आम जनता के लिए स्वतः प्रकाशित की जानी है, डयूटी टू पब्लिकेशन विवरण।

सुनवाई– सुनवाई के समय अपील पत्र के उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी से दूरभाष पर चर्चा की गयी, जिससे अपीलार्थी सन्तुष्ट थे।

अतः अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो वे द्वितीय अपील, निम्न पते पर में 90 दिन के अन्दर कर सकते है।

उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून ।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

कार्यालयः– निदेशालय,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड देहरादून

पत्रांक 4417 /प्रथम अपील 176/सू.अ.अ.–आदेश /2024–25 दिनाँक–18/12/2024

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. श्री नानकचन्द लोहिया(सचिव) भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी आर्य समाज मार्ग, हल्द्वानी, जिला नैनीताल–263139
2. लोक सूचना अधिकारी,मुख्यालय ।
3. मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

/पंजीकृत/

अपील संख्या–178/09.12.2024

अपीलकर्ता– श्री सी0एस0 पन्त, हरिपुर नायक, माया भागीरथी कॉलोनी, कुसु मखेडा हल्द्वानी, जिला नैनीताल

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,पशुपालन निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।

अपीलीय निर्णय

श्री सी0एस0 पन्त, हरिपुर नायक, माया भागीरथी कॉलोनी, कुसुमखेडा हल्द्वानी, जिला नैनीताल के अपीलीय पत्र दिनाँक 18.10.2024 जो उप सचिव, पशुपालन अनुभाग–01, उत्तराखण्ड शासन से पत्र सं0 1644 दिनांक 11.11.2024 के द्वारा निदेशालय मे दिनांक 14.11.2024 को प्राप्त हुआ। अपील पत्र मे अपीलकर्ता द्वारा यह कहते हुए कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनका अनुरोध पत्र जबरन आपत्ति लगाकर मूलरूप मे वापस कर दिया गया है जिससे प्रथम अपील की गयी है।

उक्त के कम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या 3937/सू.अ.अ./अपील सं.–178/2024–25 दिनांक 20.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अपील की तिथि व समय के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया, जिसमे सुनवाई की तिथि 09.11.2024 समय अपरान्ह 12.30 बजे, कक्ष सं0 207, प्रशासनिक भवन, निदेशालय पशुपालन, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून मे नियत की गई।

अपीलार्थी की अपील सुनवाई के समय डा० शिवानन्द पाठक, लोक सूचना अधिकारी, श्री मुकेश उनियाल, सहायक, लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय उपस्थित रहे। अपीलार्थी उपस्थित नही थे, सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी, निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र संख्या 3357 दिनांक 10.10.2024 प्रेषित किया गया था, जो कि सूचना अनुरोध पत्र स्पस्ट न होने के सम्बन्ध मे था, कि अनुरोधकर्ता द्वारा किस बिषय पर सूचना चाही गयी है तथा पुनः स्पष्ट सूचना अनुरोध पत्र बिन्दुवार उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय द्वारा अपील के समय यह भी अवगत कराया गया कि अपीलार्थी का उक्त के सम्बन्ध मे पुनः स्पस्ट अनुरोध पत्र लोक सूचना अधिकारी/अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–01 के पत्र सं0 1697 दिनांक 21.11.2024 द्वारा, जो निदेशालय को दिनांक 27.11.2024 को प्राप्त हुआ, तथा प्राप्त अनुरोध पत्र के सम्बन्धित बिन्दुओं की सूचना पत्र सं0 4238 दिनांक 07.12.2024 द्वारा अनुरोधकर्ता को प्रेषित कर दी गयी है, तथा सूचना से सन्तुष्ट न होने पर प्रथम अपील 30 दिवस के अन्दर कर सकते है।

अपील की सुनवाई मे सर्वप्रथम अपीलकर्ता के अपील पत्र दिनांक 18.10.2024 का अवलोकन किया गया, जिसमे अनुरोधकर्ता द्वारा अपने अनुरोध पत्र दिनांक 23.09.2024 मे 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही थी।

अपील हेतु कोई बिन्दु नही थे जिससे अपीलार्थी असन्तुष्ट थे, क्योंकि अपीलार्थी के अनुरोध पत्र मे चाही गयी सूचना स्पष्ट न होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा पुनः स्पष्ट अनुरोध पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु पंजीकृत पत्र प्रेषित किया गया था तथा बाद मे स्पष्ट अनुरोध पत्र निदेशालय को दिनांक 27.11.2024 को प्राप्त हुआ, जिसकी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं0 4238 दिनांक 07.12.2024 द्वारा अनुरोधकर्ता को प्रेषित कर दी गयी थी। वास्तव मे मेरे अवलोकन से भी स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी का पूर्व मे प्राप्त सूचना अनुरोध पत्र स्पष्ट नही था।

अतः अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो वे द्वितीय अपील, निम्न पते पर में 90 दिन के अन्दर कर सकते है।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

कार्यालयः– निदेशालय,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड देहरादून

पत्रांक 4432 /प्रथम अपील 176/सू.अ.अ.–आदेश /2024–25 दिनाँक– 19/12/2024

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

3. श्री सी0एस0 पन्त, हरिपुर नायक, माया भागीरथी कॉलोनी, कुसुमखेडा, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
2.लोक सूचना अधिकारी,मुख्यालय ।
3.मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

/पंजीकृत/

अपील संख्या–179/02.01.2025

अपीलकर्ता– श्री गब्बर सिह कठैत, सेवानिवृत्त मुख्य वैटनरी फार्मासिस्ट, ग्राम कौंज पोथनी, पो0 मैकोट, , जिला चमोली, उत्तराखण्ड।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी,पशुपालन निदेशालय,उत्तराखण्ड देहरादून।

//अपीलीय निर्णय//

श्री गब्बर सिह कठैत, सेवानिवृत्त मुख्य वैटनरी फार्मासिस्ट, ग्राम कौंज पोथनी, पो0 मैकोट, जिला मैकोट, जिला चमोली, उत्तराखण्ड के अपीलीय पत्र दिनाँक 19.12.2024 जो निदेशालय को दिनांक 02.01.2025 को प्राप्त हुआ, जिसमे अपीलार्थी श्री गब्बर सिह कठैत द्वारा अवगत कराया गया है कि लोक सूचना अधिकारी, पशुपालन निदेशालय के पत्र संख्या 3983 दिनांक 23.11.2024 के द्वारा प्रेषित की गई सूचना से असन्तुष्ट होने पर प्रथम अपील की गयी है।

उक्त के कम मे इस कार्यालय के पत्र संख्या 4725/सू.अ.अ./प्र0अपील/ 179/ 2024–25 दिनांक 04.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अपील की तिथि व समय के सम्बन्ध मे अवगत कराया गया, जिसमे सुनवाई की तिथि 20.01.2025 समय पूर्वाहन 11.00 बजे, कक्ष सं0 207, प्रशासनिक भवन, निदेशालय पशुपालन, उत्तराखण्ड, मोथरोवाला, देहरादून मे नियत की गई।

अपीलार्थी की अपील सुनवाई के समय डा० शिवानन्द पाठक, लोक सूचना अधिकारी, श्री मुकेश उनियाल, प्रधान सहायक/पटल सहायक, सू0अ0, मुख्यालय एंव श्री राहुल रावत, वरिष्ठ सहायक/स्थापना पटल सहायक उपस्थित रहे। अपीलार्थी भी सुनवाई मे उपस्थित रहे। अपील की सुनवाई मे सर्वप्रथम अपीलकर्ता के अपील पत्र दिनांक 19.12.2024 का अवलोकन किया गया, जिसका विषय **कनिष्ठ के बराबर वेतन अनुमन्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र** था, तथा किसी भी प्रकार की सूचना की मॉग नही की गयी थी।

सुनवाई के समय लोक सूचना अधिकारी, निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र संख्या 3983 दिनांक 23.11.2024 द्वारा उनकी वेतन वृद्धि के सम्बन्ध मे 02 पृष्ठों पर सूचना जो कि स्थापना अनुभाग, मुख्यालय द्वारा उपलब्ध उपलब्ध करायी गयी थी, अपीलार्थी को प्रेषित की गयी थी, तथा प्रकरण पर कार्यवाही गतिमान होना अवगत कराया गया था।

उक्तानुसार पक्षों का सुनने के पश्चात पाया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना पूर्ण थी, अपितु अपील के लिए कोई बिन्दु नही था। अन्य कोई बिन्दु विचार के लिए शेष नही है। अपील की सुनवाई पश्चात अपीलार्थी द्वारा लिखित रूप से सन्तुष्टि व्यक्त की गयी।

अतः प्रस्तुत प्रथम अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुए निक्षेपित की जाती है।

अपीलार्थी उक्त निर्णय से सन्तुष्ट न होने की स्थिति मे 90 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील मा0 सूचना आयोग मे कर सकते है, पता निम्नवत है–

उत्तराखण्ड सूचना आयोग,
सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून ।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी

कार्यालयः– निदेशालय,पशुपालन विभाग,उत्तराखण्ड, मोथरोवाला,देहरादून

पत्रांक 5000/प्रथम अपील /179/सू.अ.अ.–आदेश /2024–25 दिनाँक– 27/01/2025

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

1 श्री गब्बर सिह कठैत, सेवानिवृत्त मुख्य वैटनरी फार्मासिस्ट, ग्राम कौंज पोथनी, पो0 मैकोट, जिला मैकोट, जिला चमोली, उत्तराखण्ड

4. लोक सूचना अधिकारी,मुख्यालय ।

5. मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून की सेवा मे सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 जगमोहन सिंह असवाल)
संयुक्त निदेशक/अपीलीय अधिकारी